Contents

नेशनल हो यूथ मीट 2

उद्देश्य 2

एनएचवाईएम के सिद्धांत 2

प्रशासनिक तंत्र 3

केंद्रीय कोर समिति (कें.को.स.) 3

स्थानीय आयोजन समिति (स्था. आ. स.) 4

कार्यक्रम की प्रक्रिया 5

कार्यक्रमों की रूपरेखा 6

संसाधनों की व्यवस्था 7

पारदर्शिता और जवाबदेही 7

दस्तावेज़ीकरण और रिपोर्टिंग 8

कार्यक्रम का मूल्यांकन और भविष्य की रूपरेखा 8

DRAFT

नेशनल हो यूथ मीट
National Ho Youth Meet

परिभाषा - यह कार्यक्रम समाज के वरिष्ठ सदस्यों के मार्गदर्शन में युवाओं का, युवाओं के द्वारा, युवाओं के लिए कैंप आधारित परस्पर संवादात्मक कार्यक्रम है।
National HO Youth Meet – It is an event of the youth, by the youth, for the youth under the guidance of senior members of society.

उद्देश्य
Objective

देश की भौगोलिक और प्रशासनिक सीमाओं के पार युवाओं और लोगों को एकजुट करना।
To unite youth and people across the geographical and administrative boundaries of the nation.

विभिन्न क्षेत्रों के "हो" लोगों के बीच की दूरी को कम करना।
To bridge the gap between different regions of "HO" people.

वर्तमान पीढ़ी के बीच समुदाय के प्रति अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना और उन्हें समुदाय के विकास में योगदान देने लिए प्रोत्साहित करना।
Promote a sense of belongingness towards community among the current generation and encourage them for payback to the community.

युवाओं में संस्कृति, भाषा, लिपि, परंपराओं और दर्शन को बढ़ावा देना।
Promote Culture, Language, Script, Traditions and Philosophy among youth.

प्रतिभाशाली युवाओं को अपने प्रदर्शन को उत्कृष्ट बनाने के लिए जगह बनाना।
Make room for talented youth to excel their performance.

समाज के विकास के लिए रचनात्मक विचारों पर चर्चा करने के लिए युवाओं के लिए मंच विकसित करना।
Develop a platform for youth to discuss creative ideas for the development of society.

समाज के विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों के युवाओं की विशेषज्ञता का प्रभावी ढंग से उपयोग करना।
To effectively use the expertise of youth in different fields for the development of society.

एनएचवाईएम के सिद्धांत
Principles of NHYM

यह जाति, पंथ, लिंग और धर्म आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।
It will not discriminate based on caste, creed, gender, and religion etc.

यह निहित स्वार्थ के लिए किसी व्यक्ति / समूह को बढ़ावा नहीं देगा।
It will not promote any individual / group for personal stake.

यह किसी भी पंजीकृत राजनीतिक दल एवं उद्योग से सम्बन्ध नहीं होगा।

DRAFT

It will not be affiliated with any registered political party and corporation.

सभी क्षेत्रों के “हो” युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।
Active participation of “HO” youth from all parts will be ensured.

प्रशासनिक तंत्र
Administrative Mechanism

हर साल कार्यक्रम को सतत और सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए उचित तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए।
There should be proper mechanisms put in place for sustainability and smooth organising of the event every year.

देश के सभी हिस्सों के "हो" लोग जहां कहीं भी निवास कर रहे हों उन लोगों को प्रशासनिक तंत्र में शामिल किया जाना चाहिए।
The Administrative mechanism should comprise people from all parts of the country wherever “HO” people are residing.

कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कम से कम दो समितियां होंगी।
There shall be a minimum two committees to organise the event. Central Core Committee and Local Organizing committee for a year

केंद्रीय कोर समिति (कें.को.स.)
Central Core Committee (CCC)

कार्यक्रम के आयोजन के लिए केंद्रीय कोर समिति होगी जो हर साल नेशनल हो यूथ मीट के आयोजन की संपूर्ण जिम्मेदारी लेगी। समिति की संरचना, नियम एवं उत्तरदायित्व, चयन प्रक्रिया एवं अवधि इस प्रकार होगी: -
There shall be a Central Core Committee for organising events which will take overall responsibility for conduct of National HO Youth Meet every year. The composition, rules & responsibilities, selection procedure and duration of the committee will be as follows: -

केंद्रीय कोर समिति में 21 सदस्य होंगे। केंद्रीय कोर समिति में निम्न चार विभाग कार्यकारी, वित्त, सलाहकार एवं मीडिया होंगे, समिति के सदस्यों को चार विभागों में से किसी एक विभाग का कार्य सौंपा जाएगा।

There shall be 21 members of the Central Core Committee.

प्रारंभ में, उन्हें भारत के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वालों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से चुना जाएगा। तथापि, दूसरी बार के बाद उनका चयन कार्यक्रम के दौरान किया जाएगा।
Initially, they shall be selected from social media platforms representing all regions of India. However, for the second time onwards they shall be selected during the event.

केंद्रीय कोर समिति के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा।
The tenure of CCC members will be of 3 years.

केंद्रीय कोर समिति मुख्य रूप से अपने क्षेत्र के साथ - साथ राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार होगा।
The CCC shall be primarily responsible to promote events in their region as well as at national level.

DRAFT

केंद्रीय कोर समिति प्रत्येक एन.एच.वाई.एम. के लिए स्थानीय आयोजन समिति को अग्रिम रूप से आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पर्याप्त प्रयत्न करेगा।

The CCC shall take adequate efforts to extend financial support to each NYHM event.

केंद्रीय कोर समिति के सदस्यों में से एक व्यक्ति को समन्वयक के रूप में चयन किया जाना चाहिए। केंद्रीय कोर समिति समन्वयक का कार्यकाल समिति द्वारा ही तय किया जाएगा।
The CCC members should select one among them as coordinator. The tenure of the central committee coordinator shall be decided by the committee itself.

केंद्रीय कोर समिति एवं स्थानीय आयोजन समिति के समन्वय से कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए जिम्मेदार होगा।
The CCC shall be responsible for preparing the program outline in coordination with the local organising committee.

एन.एच.वाई.एम. को देश के सभी हिस्सों / विदेशों के साथ समन्वय की ज़िम्मेदारी केंद्रीय कोर समिति की होगी।
The CCC shall be responsible to coordinate with all parts of the country / abroad for NYHM.

केंद्रीय कोर समिति स्थानीय आयोजन समिति को सभी प्रकार की सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करेगा।
The CCC shall assist and guide the local organising Committee in all aspects.

केंद्रीय कोर समिति देश के सभी हिस्सों के युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करेगा।
Central Core committee to ensure participation of youth from all parts of the country.

एनएचवाईएम के लिए गए निर्णयों को लागू करने के लिए केंद्रीय कोर समिति जिम्मेदार होगा ।
The CCC shall be responsible to implement the decisions taken at NYHM.

स्थानीय आयोजन समिति (स्था. आ. स.)
Local Organizing Committee (LOC)

जहाँ कहीं भी कार्यक्रम आयोजित किया जाना है, उसके आस-पास के क्षेत्रों के युवायों को वहाँ के स्थानीय आयोजन समिति में शामिल होंगे।
There shall be one Local Organizing Committee composed of youth from the same or nearby areas where the event is going to be conducted.

सदस्यों की संख्या स्थानीय परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार अलग-अलग होगी।
The number of members shall vary as per the need of local conditions.

सदस्यों का चयन स्थानीय युवाओं द्वारा किया जाएगा और इसकी सूची कार्यक्रम से कम से कम दो महीने पहले केंद्रीय कोर समिति को भेजी जाएगी।
The members will be selected by local youth and the list of the same will be communicated to the Central Core Committee minimum two months before the event.

स्थानीय आयोजन समिति सदस्य आपस में एक समन्वयक का चयन करेंगे जो केंद्रीय कोर समिति और अन्य के साथ समन्वय करेंगे।

The Local Organizing Committee members will select one coordinator among themselves who will coordinate with the Central Core Committee and others.

स्थानीय आयोजन समिति को कार्यक्रम को आयोजित करने के समग्र जिम्मेदारी होगी जैसे कि लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था, फंड जुटाने, प्रोग्राम डिजाइनिंग, समन्वय, मेहमानों को आमंत्रित करने आदि।
The Local Organizing Committee will have the overall responsibility of conducting the event such as arranging logistics, fund raising, program designing, coordinating, inviting guests etc.

स्थानीय आयोजन समिति को केंद्रीय कोर समिति के साथ मिलकर काम करना चाहिए।
The Local Organizing Committee should work in close coordination with the Central Core Committee.

मीडिया में कार्यक्रम के व्यापक प्रचार-प्रसार की ज़िम्मेदारी स्थानीय आयोजन समिति की होगी।
The Local Organizing Committee shall be responsible for wide publicity about the event in the media.

DRAFT

कार्यक्रम की प्रक्रिया
Program Procedure

आयोजन स्थान का चुनाव - केंद्रीय कोर समिति के द्वारा कार्यक्रम के आयोजन स्थल पर निर्णय इस प्रकार से किया जाएगा कि देश के सभी "हो" जनसंख्या बहुल क्षेत्रों में कार्यक्रम का आयोजन रोटेशन के आधार पर किया जा सके। आयोजन स्थल अधिकतम लोगों के लिए सुगमता से पहुँचने योग्य होना चाहिए। केंद्रीय कोर समिति स्थल तय करने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से सुझाव मांग सकती है।
Venue – The venue of the event will be decided by the Central Core Committee in such a way that the program can be organized on rotation basis in all the "HO" populated areas of the country. The venue should be easily accessible to maximum people. The Central Committee may seek suggestions from the public through open social media to decide the venue.

अवधि / तिथि का चुनाव - आयोजन की तिथियाँ केंद्रीय कोर समिति और स्थानीय आयोजन समिति द्वारा संयुक्त रूप से तय की जाएंगी। आयोजन की तिथि काफी पहले से तय किया जाना चाहिए और किसी भी संभव माध्यम से युवाओं को अग्रिम रूप से सूचित किया जाना चाहिए। केंद्रीय कोर समिति और स्थानीय आयोजन समिति भागीदारी पद्धति से तारीख तय करने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से जनता से सुझाव आमंत्रित कर सकती है।
Duration / Date- The event dates will be jointly decided by the Central Core Committee and Local Organizing Committee. Date should be decided well in advance and communicated to the larger public through any many mediums possible. The Central Core Committee and Local Organizing Committee may seek suggestions from the public through social media to decide the date in a participatory method.

थीम / नाम का चुनाव - हर साल एन.एच.वाई.एम. का “हो” भाषा में एक नाम होगा। निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से शब्दों की माँग की जाएगी फिर सबसे ज्यादा अपरिचित शब्दों को सोशल मीडिया में मतदान के माध्यम से सर्वाधिक वोट पाये गए शब्द को उस कार्यक्रम का थीम चुना जाएगा।
Theme/Name - Every year NYHM will have one name in “HO” language. The name will be decided through voting to ensure participation of as many as people in the decision-making process.

कार्यक्रमों की रूपरेखा
Outline of Programs

एजेंडा / विषय - सभी एजेंडा और विषय उपरोक्त सूचीबद्ध एन.एच.वाई.एम. के उद्देश्यों को पूरा करना चाहिए। एजेंडा / विषयों पर कार्य करना केंद्रीय कोर समिति और स्थानीय आयोजन समिति की संयुक्त जिम्मेदारी होगी और इसके लिए केंद्रीय कोर समिति को कार्यक्रम को और बेहतर बनाने के लिए लोगों से सुझाव लेना चाहिए।
Agenda / Subject - All the agenda and subjects should meet the objectives of NYHM listed above. It will be the joint responsibility of the Central Core Committee and Local Organizing Committee to work on agenda / subjects. Suggestions from the public should always be taken by the committee.

भाषा - कार्यक्रम के दौरान "हो" भाषा के प्रयोग को अत्यधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए। किसी भी प्रकार के कार्यक्रम और प्रदर्शन के लिए "हो" गीत, संगीत और कला इत्यादि को प्राथमिकता दी जाएगी। हो सकता है कुछ वर्षों के बाद "हो" भाषा को अनिवार्य कर दिया जाए।
Language - The use of "HO" language should be given utmost priority during the program. The song, music and art of "HO" people shall be given priority for any kind of program and performance. Maybe after a few years "HO" language should be made compulsory.

कार्यक्रमों के प्रकार - केंद्रीय कोर समिति और स्थानीय आयोजन समिति के संयुक्त निर्णय के अनुसार कार्यक्रमों के प्रकार भिन्न हो सकते हैं। यह वार्ता, संवादात्मक सत्र, साक्षात्कार, पैनल चर्चा, समूह चर्चा, सामूहिक कार्य, प्रदर्शन, मनोरंजन कार्यक्रम जैसे नृत्य, गीत, नाटक और संगीत, समूह खेल या कोई अन्य कार्यक्रम हो सकता है जहाँअधिक से अधिक युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। एक दिन में मनोरंजक कार्यक्रमों को कार्यक्रमों के कुल समय के 30% से अधिक समय की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

Type of programs - The type of programs can vary as per the joint decision of the Central Core Committee and Local Organizing Committee. It can be talks, interactive sessions, interviews, panel discussions, group discussions, group works, demonstration, entertainment programs like dance, song, skit & music, group games or any other event where participation of as many as youth can be ensured. In a day, entertainment programs should not be allowed for more than 30% of the total working time of programs.

विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व / भागीदारी - कार्यक्रम को सही मायने में राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए एवं देश के सभी हिस्सों के युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाने चाहिए। कार्यक्रम के कुल कार्य समय का कम से कम 70% स्थानीय टीम के अलावा अन्य लोगों को दिया जाना चाहिए।
Representation / participation from various regions - To make the event truly national standard sufficient steps must be taken to ensure participation of youth from all parts of the country. Minimum 70% of total working hours of the event should be given to people other than the local team.

वक्ता, अतिथि और उद्घोषक - देश के सभी हिस्सों से वक्ताओं, मेहमानों और उद्घोषकों का प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिए। चूंकि, यह युवाओं का कार्यक्रम है, इसलिए युवा पीढ़ी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह अन्य कार्यक्रमों की तरह नहीं होगा, जहाँ मुख्य अतिथि / मुख्य वक्ता आदि को आमंत्रित किया जाता हो। कार्यक्रम के लिए वक्ताओं, अतिथियों और उद्घोषक को आमंत्रित करना केंद्रीय कोर समिति और स्थानीय आयोजन समिति की संयुक्त जिम्मेदारी है। दुर्लभ मामलों में ही "गैर-हो" वक्ताओं / अतिथियों को आयोजनों में बुलाया जा सकता है।
Speakers, Guest, and Anchor - The speakers, Guests and Anchors should be represented from all parts of the country. Since it is a program meant for youth, the younger generation should be given the priority. There will be no typical stage program where chief guest / chief speaker

DRAFT

etc. are invited. It is the joint responsibility of the Central Core Committee and Local Organizing Committee to invite speakers, guests, and Anchors of the program. In rare cases "non-HO" speakers/Guests may be invited for the events.

संसाधनों की व्यवस्था

Mobilisation of Resources

आयोजन के लिए संसाधनों की व्यवस्था केंद्रीय कोर समिति और स्थानीय आयोजन समिति दोनों की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। हालांकि, यह आयोजन में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह एन.एच.वाई.एम. के लिए धन की व्यवस्था करे। संसाधन नकद और वस्तु दोनों प्रकार के हो सकते हैं और संसाधन जुटाने के लिए दो प्रकार के रास्ते हो सकते हैं।
Mobilisation of resources for the event should be the primary responsibility of both the Central Core Committee and Local Organizing Committee. However, it is the responsibility of every individual participating in the event to raise funds for NYHM. Resources can be both cash and kind. There can be two types of approach for resource mobilisation.

एन.एच.वाई.एम. के सभी प्रतिभागियों को केंद्रीय कोर समिति और स्थानीय आयोजन समिति के द्वारा तय किए गए पंजीकरण शुल्क ऑफ़लाइन या ऑनलाइन जमा करना होगा। देय राशि विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग-अलग होगी। उदाहरण के लिए, श्रेणियां छात्र, नौकरी धारक, व्यवसायी आदि हो सकती हैं। जमा की गयी पंजीकरण शुल्क तकनीकी कारणों से वापस नहीं किया जा जाएगा।
Registration Fees - All participants of NYHM must deposit registration fees offline or online as decided by the Central Core Committee and Local Organizing Committee. The amount payable shall be different for various categories. For example, categories can be students, job holders, businesspeople etc.

दान / विशेष संग्रह - व्यक्तियों, समूहों और संगठनों से दोनों समितियों के द्वारा एन.एच.वाई.एम. के उद्देश्य के लिए विशेष दान, संग्रह आयोजित किया जा सकता है। हालांकि, ऐसे दान / प्रायोजन के लिए हर कानूनी स्रोत से संपर्क किया जा सकता है, लेकिन दाता का इरादा अपने निहित स्वार्थ को पूरा करने का नहीं होना चाहिए। विशेष रूप से दाता का इरादा अनुसूचित जनजातियों के हित के लिए हानिकारक नहीं होना चाहिए।
Donation / special collection - Special donations collection may be conducted for the purpose of NHYM by both the committees from individuals, groups, and organisations. Though, every legal source can be approached for such donations / sponsorship, the intentions of the donor should not be to fulfil its own personal stake. Especially the intention of the donor should not be detrimental to the interest of scheduled tribes.

जमा करने का और संग्रह करने का तरीका दोनों समितियों द्वारा तय किया जाएगा और लोगों को इसकी अग्रिम रूप से सूचना प्रदान किया जायेगा.
The mode of collection and deposit has to be decided by both committees and communicated to people well in advance.

पारदर्शिता और जवाबदेही

Transparency and Accountability

लोगों से प्राप्त संसाधन का उपयोग सवाधानी पूर्वक और विवेकपूर्ण तरीके से हो और इसकी सयुंक्त जिम्मेदारी केंद्रीय कोर समिति और स्थानीय आयोजन समिति की होगी।
The resources received from the people should be used cautiously and judiciously with the joint responsibility of the Central Core Committee and the Local Organizing Committee.

DRAFT

दस्तावेजों और लेनदेन का लेखा जोखा रखने की जिम्मेदारी केन्द्रीय स्तर एवं स्थानीय स्तर पर क्रमशः केंद्रीय कोर समिति एवं स्थानीय आयोजन समिति की है।
It is the responsibility of Local Organizing Committee coordinator to keep the record of accounts at local level and at central level the responsibility of keeping the account record shall be of Central Core Committee coordinator.

जनता के द्वारा माँग पर रिकॉर्ड की सभी पुस्तकें (बिल और वाउचर) उपलब्ध कराई जाएंगी। हालांकि, आय और व्यय की बैलेंस शीट प्रत्येक कार्यक्रम के बाद सभी के लिए सार्वजनिक की जाएगी।
All the books of records (bills & Vouchers) shall be available for the public on demand. However, the balance sheet of income and expenditure shall be made public to all after every event.

दस्तावेज़ीकरण और रिपोर्टिंग
Documentation and Reporting

अभिलेखों और मूल्यांकन के उद्देश्य से प्रक्रिया का दस्तावेजीकरण करना दोनों समितियों की जिम्मेदारी होगी। दस्तावेजों को जनता के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए। दस्तावेज़ श्रव्य, दृश्य या लिखित रूप में हो सकते हैं।
It shall be the responsibility of both the committees to make the process documented for the purpose of records and evaluation. The documents should be made available for the public. The documents can be in the form of audio, visual or written.

कार्यक्रम की समीक्षा और मूल्यांकन और भविष्य की रूपरेखा
Evaluation of Event and Way Forward

कार्यक्रम समाप्ती के पश्चात दोनों समितियों के द्वारा कार्यक्रम की समीक्षा और मूल्यांकन किया जाना चाहिए। प्रतिभागियों की प्रतिक्रियाएँ एकत्र की जानी चाहिए। आयोजन के दौरान सीखी गई गलतियों का उपयोग आयोजनों को और बेहतर बनाने के लिए किया जाना चाहिए। यदि आयोजन के दौरान लागू करने के लिए कोई निर्णय लिया जाता है, तो निर्णय को निष्पादित करने के लिए दोनों समितियों, विशेष रूप से केंद्रीय कोर समिति की प्राथमिक जिम्मेदारी होगी।
Each year after the event there should be outcome evaluation by both the committees. Feedback of participants should be collected. The mistakes learned during the event should be used for further improvement of events. If any decision is taken to be implemented during the event, it shall be the primary responsibility of both the committees, especially the Central Core Committee to execute the decision.

****